



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



8 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 698 राँची, बुधवार,

29 नवम्बर, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2023

संख्या-एल०जी०-08/2023-84—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-22/11/2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय)

अधिनियम, 2023

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-15, 2023)

विषय सूची

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- परिभाषायें
- पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के कृत्य

4. साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेध
5. प्रश्न-पत्र या उसके एक भाग का कब्जा (Possession) व प्रकटीकरण (leakage)
6. परीक्षा कार्य में तैनात या संलग्न व्यक्ति द्वारा प्रकटन (disclosure) की रोकथाम
7. प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, ओ०एम०आर० शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत ढंग से कब्जा या प्रकटीकरण
8. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध
9. परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों / उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेध
10. प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान उपयोग अथवा प्रयोग में नहीं लिया जायेगा
11. प्रबंध तंत्र, संस्था, कंपनी या अन्य द्वारा अपराध
12. दण्ड एवं आस्तियां
13. दोषसिद्धि पर विवर्जन/वंचन
14. तलाशी और अभिग्रहण
15. गिरफ्तार करने की शक्ति
16. संपत्ति की कुर्की और अधिहरण (confiscation)
17. सम्पत्ति को निर्मुक्त करना
18. न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जाँच
19. जाँच के पश्चात् आदेश
20. अपील
21. समस्त लागत और व्यय का संदाय (भुगतान) करने का प्रबंध-तंत्र इत्यादि का दायित्व
22. अपराधों का संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-शमनीय होना
23. किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यकता न होना
24. अपराधों का अन्वेषण
25. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले
26. विशेष न्यायालयों को नामित करने की शक्ति
27. सरकारी सेवक
28. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के न्यूनीकरण में न होना
29. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति
30. नियम बनाने की शक्ति
31. निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति
32. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति
33. सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023

राज्य में हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के प्रकटीकरण की घटनाओं ने समाज तथा भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों की चेतना को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड अधिरोपित किए जाने हेतु कानूनी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) यह अधिनियम "झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023" कहलायेगा।
- (2) इस का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर होगा।
- (3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें

- (1) इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो -
 - (क) "सरकार" से झारखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
 - (ख) "परीक्षा प्राधिकारी" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ग) "प्रतियोगी परीक्षा का संचालन" से प्रश्न-पत्रों, उत्तर पत्रकों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट, परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भण्डारण, परिवहन, वितरण/संग्रहण, परीक्षा उपरांत परीक्षा केन्द्रों पर ऑफलाइन (पेपर-पेन) तथा ऑनलाइन (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा तथा ऐसे ही अन्य कार्य आदि अभिप्रेत है;
 - (घ) "प्रतियोगी परीक्षा" से राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग/कार्यालय, प्रतियोगी संस्था, निकाय, बोर्ड, निगम या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के किसी भी पद पर चयन के लिए संचालित होने वाली अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परीक्षाएँ अभिप्रेत है;
 - (ङ) "परीक्षा केन्द्र" से किसी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई विद्यालय, शिक्षण संस्थान, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान तथा सम्पूर्ण परिसर अभिप्रेत है;

(च) "परीक्षार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया हो या अन्यथा अनुमति दी गयी हो और इसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसे उसके निमित्त श्रुतिलेखक या सहायक के रूप में अधिकृत किया गया हो;

(छ) "अनुचित साधन" में सम्मिलित हैं :-

(1) किसी परीक्षार्थी के संबंध में -

प्रतियोगी परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अलिखित, उद्धरित प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) से प्राप्त सामग्री या कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता या अन्य अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट इत्यादि का उपयोग अथवा प्रयोग करना;

(2) किसी व्यक्ति के संबंध में -

(i) प्रश्न-पत्र के प्रतिरूपण (copy) या प्रकटन (leakage) या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षडयंत्र करना।

(ii) अप्राधिकृत रीति से प्रश्न-पत्र को प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना।

(iii) अप्राधिकृत रीति से प्रश्न-पत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्न-पत्र हल करने में सहायता मांगना।

(iv) अप्राधिकृत रीति से प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना।

(v) ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नों या प्रश्न-पत्र का विवरण (डाटा) अप्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराना या हल करने हेतु निर्धारित कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर आदि से छेड़छाड़ करना और इसके लिए सहायता करना।

(vi) परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट या प्राप्तियों में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ कर प्रवीणता (मेरिट) को प्रभावित करना।

(vii) परीक्षा कक्ष में या उसके बाहर कार्य (ड्यूटी) में तैनात पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को या उनके किसी मित्र को या उनके किसी रिश्तेदार को चोट पहुँचाने की {चाहे मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्यमान प्रस्तुतियों (visiblerepresentation) द्वारा} धमकी देना; या अन्यथा पर्यवेक्षीय कर्मचारियों या परीक्षा हॉल में या उसके बाहर कार्य (ड्यूटी) में तैनात किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रियायत/सहमति दिखाने के लिए प्रेरित करना।

(viii) उत्तर पुस्तिका में अपशब्द या अश्लील एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करना ।

(ix) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अनुचित साधनों में संलिप्त है और धोखाधड़ी में पकड़ा गया है, लेकिन उक्त स्थिति के पश्चात् यदि संलिप्त व्यक्तियों ने न्यायालय में आपसी सहमति से मामले को समाप्त करने का प्रयास किया तो, परीक्षा प्राधिकरण की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा ।

(x) किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न-पत्र की चोरी, जबरन वसूली या डकैती या परीक्षा प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट को हटाना या नष्ट करना ।

(ज) "सेवा प्रदाता" से ऐसी कम्पनियाँ, संस्थान व संगठन अभिप्रेत हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा संबंधी कार्यों के संपादन के लिये, परीक्षा प्राधिकरण द्वारा सेवा दिये जाने हेतु सेवा प्रदाता के रूप में आबद्ध (bound) हैं, इसमें उनके प्रबंध-तंत्र तथा ऐसे सभी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जो परीक्षा प्राधिकरण की संबंधित परीक्षा के लिये लगाये गये हों;

(झ) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित 'कम्पनी' अभिप्रेत है;

(ञ) "सीमित दायित्व भागीदारी" से राज्य के ऐसे सभी कर्मचारी व अधिकारी तथा परीक्षा केन्द्रों तथा उनके कर्मचारीगण तथा आयोग के कार्मिकों की परीक्षा में भागीदारी अभिप्रेत है, जो किसी परीक्षा में सीमित दायित्वों का निर्वहन करने हेतु तैनात हैं या संबद्ध हैं अथवा कार्य में लगाये गये हैं ।

(ट) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ।

(ठ) "पर्यवेक्षीय कर्मचारीगण" से परीक्षा प्राधिकरण द्वारा किसी भी विधि के अधीन परीक्षा के पर्यवेक्षण और संचालन के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें सक्षम परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा के संचालन से जुड़े कर्तव्यों और कृत्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया हो

(ड) "कोचिंग संस्थान" से राज्य सरकार के किसी परीक्षा प्राधिकरण (जैसा कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है) द्वारा आयोजित लिखित या मौखिक परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के पूर्व कोचिंग प्रदान करने वाला संस्थान अभिप्रेत है

(ढ) "पुलिस उपाधीक्षक" से पुलिस अनुमण्डल का प्रभारी पुलिस अधिकारी एवं इसके समकक्ष पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "विशेष न्यायालय" से अधिनियम की धारा 26 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट सत्र (कोर्ट ऑफ सेशन) न्यायालय अभिप्रेत है;

- (2) शब्द और पद जो इसमें परिभाषित नहीं किये गए हैं, किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित (assigned) किये गये हैं।

3. पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के कृत्य

पर्यवेक्षीय कर्मचारी बाध्य होगा -

(क) विधियों या विनियमों के अधीन या उसके अनुसार निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा।

(ख) किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के उपयोग अथवा प्रयोग की अनुमति नहीं देगा, या उससे मिलीभगत नहीं करेगा और बढ़ावा नहीं देगा।

(ग) निरीक्षण दल के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने या उसके आस-पास या इधर-उधर घूमने की अनुमति नहीं देगा।

4. साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेध

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करेगा।

5. प्रश्न-पत्र या उसके एक भाग का कब्जा (Possession) व प्रकटीकरण (leakage)

प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न-पत्रों को तैयार करने, प्रश्न-पत्रों को मुद्रित करने, प्रश्न-पत्रों को डिजिटल रूप से भेजने, मुद्रित प्रश्न-पत्रों का परिवहन करने, प्रश्न-पत्रों को परीक्षा के पूर्व व परीक्षा के दौरान रखे जाने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के आधार पर नियत समय से पूर्व निम्नलिखित कृत्य नहीं करेगा :-

(क) ऐसे प्रश्न-पत्रों या उसके भाग या उसकी प्रति पैकिंग को खोलना, प्रकट करना (disclose), प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रीति से तैयार प्रश्न-पत्रों या प्रश्नों या प्रश्नों के विवरण (डाटा) को प्राप्त करना, प्रश्न-पत्र का विवरण (डाटा) प्राप्त करने के लिए पासवर्ड लेना आदि तथा उन्हें हल करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना देना या ऐसी गोपनीय सूचना देने का प्रयास करना या वचन देना, जहाँ ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्न-पत्र से संबंधित है या उसके संबंध में है;

(ग) ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र का विवरण (डाटा) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए किसी कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर से छेड़-छाड़ नहीं करेगा।

6. परीक्षा कार्य में तैनात या संलग्न व्यक्ति द्वारा प्रकटन (disclosure) की रोकथाम

कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में तैनात या संलग्न है, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अधिकृत हो, ऐसी सूचना या उसका भाग, जो उसे इस प्रकार तैनाती के आधार पर जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवायेगा या नहीं बतायेगा। यदि ऐसी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित है तो उसका पासवर्ड या कोई भी अन्य विवरण (डाटा) प्रकटन नहीं करेगा।

7. प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, ओ०एम०आर० शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत ढंग से कब्जा या प्रकटीकरण

कोई भी व्यक्ति, जो प्रश्न-पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है किसी प्रतियोगी परीक्षा में:-

(क) ऐसा प्रश्न-पत्र या उत्तर पत्रक या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट या उसका कोई भाग या प्रतिलिपि किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा; अथवा

(ख) ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके, ऐसे प्रश्न-पत्र से संबद्ध/ हितबद्ध होने या प्राप्त होने या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है।

8. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध

कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

9. परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों / उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेध

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति, परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई उपकरण इत्यादि) ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।

10. प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान उपयोग अथवा प्रयोग में नहीं लिया जायेगा

कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य सौंपा गया है या जो उसमें लगा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन से परीक्षा केन्द्र से भिन्न अन्य किसी स्थान का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा ।

11. प्रबंध तंत्र, संस्था, कंपनी या अन्य द्वारा अपराध

(1) जब कभी प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा-प्रदाता व अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किये जाने के समय प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा-प्रदाता व अन्य के कारोबार का प्रभारी था, या प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारोबार के संचालन के प्रति उत्तरदायी था; साथ ही साथ, प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवा-प्रदाता व अन्य भी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा तदनुसार दण्डित किया जाएंगे ।

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्निहित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी दण्ड के लिए उत्तरदायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और यह कि उसने उस अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सम्यक सतर्कता एवं तत्परता बरती थी ।

(2) परीक्षाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न-पत्रों एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने तथा शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंध-तंत्र, संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा ।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध, किसी प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा कारित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध प्रबंध-तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या सेवा-प्रदाता या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उनकी किसी अपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है तो ऐसा निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा ।

(4) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी प्रतियोगी परीक्षा के संचालन में लगी कम्पनी द्वारा किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था, कम्पनी के रूप में अपराध

का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/ मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए 'कम्पनी' से कोई भी / निगमित (कॉर्पोरेट) और इसमें एक फर्म या व्यक्ति का अन्य संघ अभिप्रेत है ।

12. दण्ड एवं आस्तियां

(1) यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाईन) में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए या धारा 2(छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी और ऐसे जुर्माने से, जो पाँच लाख रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित होगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा परीक्षार्थी नौ माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा ।

परन्तु यदि वह परीक्षार्थी पुनः (दूसरी बार) किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाईन) में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए या धारा 2 (छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा, दण्डित होगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा परीक्षार्थी तीस माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवा प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था, षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2 (छ)(2) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त है या संलिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड्यंत्र करता है या अन्यथा अनुचित साधनों में संलिप्त होता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़

रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।

- (4) जो कोई भी व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवा प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की किसी भी समय परीक्षा समाप्त होने के पूर्व या उसके पश्चात् चोरी जबरन वसूली, लूट में शामिल रहता है या उत्तर पत्रकों या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट की किसी भी प्रकार से अनधिकृत रूप से नष्ट करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं० 45) में अंतर्निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष के कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।

13. दोषसिद्धि पर विवर्जन/वंचन

- (1) कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को, आरोप-पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पाँच वर्ष की कालावधि तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दस वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने/बैठने से वंचित (debar) कर दिया जाएगा।

परन्तु यदि परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप-पत्र दाखिल होने की तिथि से पाँच से दस वर्ष की कालावधि तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर आजीवन कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने / बैठने से वंचित (debar) कर दिया जाएगा।

- (2) विवर्जन/वंचन हेतु अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अधिकृत होंगे।

14. तलाशी और अभिग्रहण

- (1) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट के पास, अभिप्राप्त जानकारी के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि किसी व्यक्ति ने,

- (क) ऐसा कोई कार्य किया है जो अनुचित साधनों का गठन करता है, या
- (ख) अनुचित साधनों में संलिप्त अपराध के किसी आगम (आय) को कब्जे में रखा है, या
- (ग) अनुचित साधनों से संबंधित कोई अभिलेख कब्जे में रखा है, या
- (घ) अपराध से संबंधित किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखा है,

तो वह इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा-

- (i) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में, जहाँ उसके पास यह संदेह करने के कारण हैं कि ऐसे अभिलेख या अपराध के आगम (आय) रखे गए हैं, प्रवेश करना और तलाशी लेना;
 - (ii) किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान (गोदाम) का, जहाँ उनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं, खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताला तोड़कर खोलना;
 - (iii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या सम्पत्ति को अभिगृहीत (Seize) करना;
 - (iv) ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति पर, यदि अपेक्षित हो, पर पहचान के चिह्न लगाना या उससे उद्धरण या प्रतियां लेना या तैयार करना या करवाना
 - (v) ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति का टिप्पण या सूची तैयार करना;
- (ड) ऐसे किसी व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करना जिसके कब्जे में या नियंत्रण में ऐसा अभिलेख व सम्पत्ति पाई जाती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत सभी मामलों से संबंधित है।
- (2) वह प्राधिकारी, जिसे उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, तलाशी और अधिग्रहण के ठीक पश्चात् इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति उस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसी रीति से जो विहित की जाए उसके कब्जे में की सामग्री के साथसील बन्द लिफाफे में, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे कारण और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा, जैसा विहित किया जाए।
- (3) जहां किसी प्राधिकारी को अभिप्राप्त जानकारी पर समाधान हो जाता है कि कोई साक्ष्य छिपाया या बिगाड़ा जाएगा, या उसके छिपाए या बिगाड़े जाने की सम्भावना है, वहां वह ऐसे लेखबद्ध किए गए कारणों में, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जहाँ ऐसा साक्ष्य अवस्थित है और उस साक्ष्य को अभिगृहीत (seize) कर सकेगा;

परन्तु उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी इस उप-धारा के अधीन तलाशी के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

15. गिरफ्तार करने की शक्ति

- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारीके पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध

का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा ।

- (2) यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के ठीक पश्चात् उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सीलबंद लिफाफे में आदेश की एक प्रति, ऐसे विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा जो विहित की जाए ।

16. संपत्ति की कुर्की और अधिहरण (confiscation)

- (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों (आय) को धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा ।
- (2) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई सम्पत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी है, तो वह ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, चाहे किसी विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान किया गया हो या नहीं ।
- (3) प्रत्येक ऐसी कुर्की पर संहिता के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन के साथ (mutatis mutandis), लागू होंगे ।
- (4) संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट उप-धारा (2) के अधीन कुर्क की गयी किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है तथा प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियाँ होंगी ।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है ।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम (आय)" से समस्त प्रकार की ऐसी संपत्तियाँ अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, बिना उस व्यक्ति का विचार किये जिसके नाम से ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में वे पाये जाते हैं ।

17. सम्पत्ति को निर्मुक्त करना

- (1) जहाँ धारा 16 के अधीन कोई सम्पत्ति कुर्क की जाए, वहाँ उसका दावेदार ऐसी कुर्की की जानकारी की तिथि से तीन माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा उस सम्पत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

- (2) यदि उप-धारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाए तो वह कुर्क की गयी सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदोपरान्त ऐसी सम्पत्ति दावेदार को व्यक्तिगत बॉन्ड निष्पादित करने पर सौंप दी जाएगी ।

18. न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जाँच

- (1) जहाँ धारा 17 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जाता है या जिला मजिस्ट्रेट धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, वहाँ वह इस अधिनियम के अधीन मामले को अपनी आख्या (रिपोर्ट) के साथ अपराध का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा ।
- (2) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट ने किसी सम्पत्ति को धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन कुर्क करने से इन्कार किया है या किसी सम्पत्ति को धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहाँ राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जो इस प्रकार इन्कार करने या निर्मुक्त करने से व्यथित हो, यह जाँच करने के लिए कि क्या प्रश्नगत सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के द्वारा अर्जित की गई थी या उसके परिणाम स्वरूप है, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को आवेदन पत्र दे सकता है । विशेष न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है ।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन निर्देश/संदर्भ प्राप्त होने या उप-धारा (2) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय जाँच के लिए कोई तिथि नियत करेगा और उसकी नोटिस उप-धारा (2) के अधीन आवेदन पत्र देने वाले व्यक्ति को या, यथास्थिति, धारा 17 के अधीन अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार और किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसका हित इस मामले में अंतर्निहित प्रतीत हो, देगा ।
- (4) इस प्रकार नियत तिथि को या किसी पश्चातवर्ती तिथि को, जब तक के लिए जाँच स्थगित किया जा सके, विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसे और साक्ष्य लेगा जिसे वह आवश्यक समझे और यह विनिश्चय करेगा कि क्या प्रश्नगत सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी तथा धारा 19 के अधीन ऐसा आदेश देगा, जो मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत और आवश्यक हो ।
- (5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार, कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा ।

19. जाँच के पश्चात् आदेश

- (1) यदि ऐसी जाँच पर विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रश्नगत सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य कारित किए जाने के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गई थी, तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह कुर्क की गयी थी ।
- (3) जहाँ अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो विशेष न्यायालय कोई दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय के अतिरिक्त, लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि आदेश में विनिर्दिष्ट और अभियुक्त से संबंधित ऋणभारों से मुक्त कोई भी चल या अचल या दोनों सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित समझी जाएगी ।

20. अपील

संहिता के अध्याय- XXIX के उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील पर यथाआवश्यक परिवर्तन के साथ (mutatismutandis) लागू होंगे ।

21. समस्त लागत और व्यय का संदाय (भुगतान) करने का प्रबंध-तंत्र इत्यादि का दायित्व

यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह, जैसा इस अधिनियम में परिभाषित विशेष न्यायालय निर्धारित करें, परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय का संदाय (भुगतान) करने के लिए उत्तरदायी होगा और उन्हें इससे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा ।

22. अपराधों का संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-शमनीय होना

विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों से संबंधित पुलिस रिपोर्ट या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत पक्ष द्वारा इस निमित्त की गई किसी शिकायत पर उस अपराध का संज्ञान ले सकता है जिसके लिए अभियुक्त ने परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया है।

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-शमनीय होंगे।

(ख) इस अधिनियम के अधीन सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा से दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को जमानत पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा:-

- (i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए एक अवसर दे दिया गया है, तथा

- (ii) जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता है वहां विशेष न्यायालय को यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार है कि, वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है;

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति यदि परीक्षार्थी है या महिला है या बीमार है या अशक्त है तो उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश दे।

23. किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यकता न होना

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) यदि आवश्यक हो, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारीसे पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है तथा इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी ।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में लागू नहीं होंगे ।

24. अपराधों का अन्वेषण

पुलिस उपाधीक्षक (जिन जिलों में पुलिस उपाधीक्षक तैनात न हो वहाँ पुलिस अधीक्षक) के पद से अन्यून कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधिकारिता क्षेत्र में किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।

25. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा ।

26. विशेष न्यायालयों को नामित करने की शक्ति

राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, उतने संख्या में सत्र (सेशन) न्यायालयों को विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करेगी ।

27. सरकारी सेवक

इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए 'सरकारी सेवक' का अर्थ हैं और इसमें कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है: (i) चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या (ii) कोई अन्य व्यक्ति, जो परीक्षा प्राधिकरण जैसा कि अनुसूची-1 में विशिष्ट रूप से उल्लेखित है, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा के आयोजन में नियोजित किया गया हो ।

28. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के न्यूनीकरण में न होना

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके न्यूनीकरण में ।

29. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो तथा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य के विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा ।

30. नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियमों को उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानसभा के पटल पर, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा ।

31. निर्देश या आदेश जारी करने शक्ति

राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर लिखित में निर्देश या आदेश जारी कर सकेगी ।

32. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे अन्य परीक्षा और प्राधिकारी को, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची-1 और 2 में सम्मिलित या बाहर कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर अनुसूची -1 और 2 तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

33. सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

अनुसूची-1
[धारा- 2 (1) (ख)]

- (1) झारखण्ड लोक सेवा आयोग
- (2) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
- (3) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति
- (4) राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय
- (5) झारखण्ड अधिविद्य परिषद (जैक)
- (6) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU)
- (7) कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामित्वाधीन समस्त सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU)
- (8) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी

अनुसूची-2**[धारा- 2 (1) (घ)]**

- (1) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
- (2) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित कोई परीक्षा
- (3) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती समिति द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
- (4) राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्विद्यालय द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा।
- (5) झारखण्ड अधिविद्य परिषद (जैक) द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा ।
- (6) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU) द्वारा संचालित कोई परीक्षा।
- (7) किसी सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामित्वाधीन समस्त सार्वजनिक लोक उपक्रम (PSU) द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा ।
- (8) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा संचालित कोई अन्य परीक्षा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2023

संख्या- एल० जी०- 08/2023-85-लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- **22/11/2023** को अनुमत झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023

(Jharkhand Act, 15, 2023)

Subject-List

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions
3. Duties of Supervisory Staff
4. Prohibition of use of unfair means
5. Possession or leakage of question paper or part thereof
6. Prevention of disclosure by person posted or engaged in examination work
7. Unauthorized possession or disclosure of question paper, answer sheet, OMR sheet in any form
8. Prohibition of entry into the examination centre
9. Prohibition of carrying unfair means / equipment in the examination centre
10. No place other than the examination centre shall be used for competitive examination
11. Offences by management, organization, companies or others
12. Penalties
13. Disbarment on conviction
14. Search and Seizure
15. Power to Arrest
16. Attachment and confiscation of property
17. Release of property
18. Inquiry into the character of acquisition of property by the Court

19. Order after inquiry
20. Appeal
21. Liability of management etc. to pay all costs and expenses
22. Offence to be cognizable, non-bailable and non-compoundable
23. No enquiry or approval required
24. Investigation of crimes
25. Case considered by Special Courts
26. Power to appoint Special Courts
27. Public Servant
28. Act not to be in derogation of any other law
29. Power to remove difficulties
30. Power to make rules
31. Power to issue directions or orders
32. Power to amend Schedule
33. Protection of action taken in good faith

The Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023

In State of Jharkhand recent incidents of leakage of question papers in Competitive Examination have shaken the conscious of the society and the students involved in preparation of competitive examination for recruitment and such incidents require effective deterrence through legal provisions of more stringent punishment.

Be it enacted by Legislature of Jharkhand in the Seventy-Fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called the **Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023**.
- (2) It shall extend to the whole State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force *w.e.f.* the date of publication in Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
 - (a) **"Government"** means the Government of the State of Jharkhand;
 - (b) **"Examination Authority"** means the Examination Authority as specified in Schedule- I;

-
- (c) **"Conduct of Competitive Examination"** means preparation of question papers, answer sheets, Optical Mark Recognition (OMR) sheets, result sheets, printing supervision, coding process, storage, transportation, distribution/collection, post examination at examination centres offline (paper pen) and online (computer based examination) conduct of examination, evaluation, declaration of result and such other works etc;
- (d) **"Competitive Examination"** means the examinations specified in Schedule-II as conducted for selection to any post in any department of State Government, competitive institution, body, board, corporation or institution aided by the State Government;
- (e) **"Examination Centre"** means any school, college, computer centre, institution or part thereof or any other place and the entire premises designated and used for conducting any competitive examination;
- (f) **"Examinee"** means a person who has been issued an admit card or otherwise permitted by the concerned authority to appear in the selection test and also includes a person authorized to act as a scribe or assistant on his behalf;
- (g) **"Unfair Means"** includes -
- (1) **In respect of an examinee: -**
 Directly or indirectly recovered from any person or group in competitive examination or any written, non- written, quoted, copied, printed material, material obtained from electronic or Information Technology (IT) or taking any unfair aid, other unauthorized aid or using any unauthorized electronic or mechanical device or gadget etc. in the computer based examination;
 - (2) **In respect of a person: -**
 - (i) Impersonation or leakage or attempt for leakage or conspiracy for leakage of question paper.
 - (ii) Unauthorized access or attempt to get or take possession of or attempt to take possession of question paper.
 - (iii) Solving question papers in an unauthorized manner or attempt to solve or seeking assistance in solving the question paper.
 - (iv) Directly or indirectly assist the examinee in an unauthorized manner in the competitive examination.
 - (v) Supply of question paper data or questions in online examinations to any unauthorized person or tampering with computer intended to solved, local area network or server etc. and assist therewith.
 - (vi) Affecting merit by tampering with answer sheets or Optical Mark Recognition (OMR) sheets or marks, by any means after the examination.

- (vii) Threatens the supervisory staff on duty in or outside the examination hall with any injury to his person or friends or to any of his relatives; whether by words either spoken or written or by signs or visible representations or otherwise with a view to inducing the supervisory staff or any person on duty in or outside the examination hall to show any concession;
 - (viii) Uses abusive or obscene or indecent language in the answer book;
 - (ix) If any person and the group of persons involved in the use or practice of unfair means and caught cheating, but after the said situation if the indulged persons try to compound and end the matter in Court with mutual consent this shall not be permissible without consent of the examination authority.
 - (x) Committing theft, extortion or robbery of question paper or to remove or destroy by any means the answer sheet and Optical Mark Recognition (OMR) sheets of any competitive examination against the prescribed rules of examination authority.
- (h) **"Service Provider"** means such companies, institutions and organizations, which are service providers bound by the examination authority for the conduct of competitive examination related work, it includes their management system and all such employees, or staff who are involved in the competitive examination related work of the examination authority;
- (i) **"Company"** means a company as defined in The Companies Act, 2013;
- (j) **"Limited Liability Participation"** means participation in the examination of all such employees and officers of the State and examination centres and their staff, and commission personnel, who are posted or associated or engaged to discharge limited liability in any examination;
- (k) **"Code"** means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- (l) **"Supervisory staff"** means any person appointed by the examination authority under any law for the supervision and conduct of an examination and includes such other persons as are appointed by the examination authority to perform the duties and functions connected with the conduct of an examination;
- (m) **"Coaching Centre"** means an institution imparting pre-examination coaching for securing Government job through written or oral examination conducted by any examination authority (as specified in Schedule - I) of the Government;
- (n) **"Deputy Superintendent of Police"** means the police officer in charge of a Police Sub-division and shall include police officers of equivalent rank;

(o) **"Special Court"** means a court of sessions designated as Special Court under Section 26 of the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) shall have the same meanings respectively assigned to them in those Codes.

3. Duties of Supervisory Staff

The supervisory staff shall be bound -

- (a) to act and to perform their duties in accordance with and as required by or under the statutes or the regulations, as the case may be;
- (b) not to allow, connive at or facilitate the commission of any unfair means by any candidate;
- (c) not to allow any person other than the members of the inspection team, to enter or loiter in or around the examination centre.

4. Prohibition of use of unfair means

No person shall use unfair means in any competitive examination.

5. Possession or leakage of question paper or part thereof

For conduct of competitive examination, preparation of question papers, printing of question papers, digitally sending of question papers, transportation of printed question papers, keeping of question papers before and during the examination, any person authorized by virtue of his duties shall not do the following before the appointed time -

- (a) To unseal such question papers or part or copy or packing thereof, to disclose, receive or attempt to receive, has possession of or receive question papers or questions or question data prepared in electronic or digital mode, taking password etc. to get question paper data and solving them or,
- (b) Giving or attempting to give or promise to give any confidential information to any person or examinee where such confidential information relates to or is in connection with such question papers.
- (c) Shall not disclose the data of question paper in online examinations to any unauthorized person or shall not tamper with any computer, local area network or server in order to do so.

6. Prevention of disclosure by person posted or engaged in examination work

Any person who is posted or engaged in any work relating to a competitive examination, except where he is authorized by virtue of his duty to do so, shall not divulge or cause to be disclosed or disclose to any other person, directly or indirectly, such information or part thereof, what has come to his knowledge by virtue of such posting. If such information is electronically based, shall not disclose its password or any other data.

7. Unauthorized possession or disclosure of question paper, answer sheet, OMR sheet in any form

Any person, who is not lawfully authorized or permitted by reason of his duty to do so before the time fixed for the distribution of question papers, at any competitive examination, shall not-

- (a) receive or attempt to receive or have possession of such question paper or answer sheet or Optical Mark Recognition (OMR) sheet or any part or copy thereof in any manner, or
- (b) give or offer to give such information which he knows or has reason to believe to be concerned/interested in or to be received or relating to such question paper.

8. Prohibition of entry into the examination centre

Any person who is not employed/posted in work related to the competitive examination or who is not engaged in the work of conducting the competitive examination, or who is not an examiner, shall not enter the premises of the examination centre during the examination.

9. Prohibition of carrying unfair means / equipment in the examination centre

No examinee or examiner or any other person engaged in the examination shall use any kind of unfair means or appliances at the examination centre. Carrying any kind of electronic equipment (mobile phone, bluetooth device, watch, calculator, pager, chip, any device to influence computer etc.) at the examination centre shall be strictly prohibited.

10. No place other than the examination centre shall be used for competitive examination

No person entrusted with or engaged in any work relating to a competitive examination shall use or cause to be used any place other than the examination centre for the purpose of conducting the competitive examination.

11. Offences by management, organization, companies or others

- (1) When an offence under this Act is committed by any management or institution or limited liability partnership or service provider contracted or ordered for examination and others, every person who at the time the offence was committed was in charge of the business of the management or institution or limited liability partnership or service provider contracted or ordered for the examination and others, or was responsible for the conduct of the business of the management or institution or limited liability partnership or other, as well as the service provider contracted or ordered for the examination by the management or institution or limited liability partnership or other, shall also be deemed to be guilty of the offence and shall himself be liable to be prosecuted against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render such person liable to any punishment under this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised due care and diligence to prevent the commission of the offence.

- (2) Management, institutions and individuals who circulate and publish wrong, misleading and false information and complaints in relation to examinations and question papers and answer keys related to examinations, shall be deemed guilty of crime and shall be liable to be prosecuted against and punished accordingly.

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this section has been committed by any management or institution or limited liability partnership or other and it is proved that the offence was committed by the management or institution or limited liability partnership with the consent or connivance of, or any negligence on the part of, any director, partner, manager, secretary or other officer of the partnership or service provider or other, such director, partner, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be prosecuted and punished accordingly.
- (4) Where an offence under this Act is committed by a company engaged in the conduct of any competitive examination, every person who at the time when offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be prosecuted against and punished accordingly.

Explanation - for the purpose of this section "Company" means anybody/corporate and includes a firm or other association of the individual.

12. Penalties

- (1) If any examinee is caught cheating or causing another examinee to cheat in a competitive examination (online and offline) or to have indulged in unfair means as defined under section 2(g)(1), he shall be punished with imprisonment of description for a term of three years and with fine which shall not be less than rupees five lakh and in default of payment of fine, such examinee shall be punished with imprisonment for a term of nine months:

Provided that if any examinee is found in repeated offence of cheating or causing another examinee to cheat in any other competitive examination (online and offline) or to have indulged in unfair means as defined under section 2(g)(1), he shall be punished with imprisonment of description for a term which shall not be less than seven years and with fine which shall not be less than rupees ten lakh and in default of payment of fine, such examinee shall be punished with imprisonment for a term of two and half years.

- (2) If any person, printing press, service provider contracted or ordered for examination, management for conducting examination, any person and organization authorized to keep and transport the examination material, any employee of the examination authority, limited liability partnership, coaching centre or any other institution has indulged in conspiracy or otherwise unfair means as defined in clause 2(g)(2) attempts to be so or contravenes or abets the contravention of any of the provisions of this Act, shall be punished with imprisonment of description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to life imprisonment and shall also be punished with fine which shall not be less than rupees two crore but which may extend to rupees ten crore and in default of payment of fine, such person shall be punished with imprisonment for a term of three years.
- (3) If any person in an organized crime conspires with the examination authority or otherwise indulge in unfair means or contravenes or abets to contravene any of

the provisions of this Act, he shall be liable to be imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years and may extend to life imprisonment and with fine which shall not be less than rupees two crore but which may extend to rupees ten crore and in default of payment of fine, such person shall be punished with imprisonment for a term of three years.

- (4) Whoever commits theft, extortion or robbery of question papers or destroy by any unauthorized means answer sheet or Optical Mark Recognition (OMR) sheets of any competitive examination, at any time, before or after the examination in such question paper is over, shall, notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and with fine which shall not be less than rupees one crore but which may extend to rupees two crore and in default of payment of fine, such person shall be punished with imprisonment for a term of three years.

13. Disbarment on conviction

- (1) Any examinee who is prosecuted for any offence under the provisions of this Act, such prosecuted examinee shall be debarred, from appearing in all the competitive examinations and interviews held by the examination authority or the board, from the date of charge-sheet filed for a period of two to five years and on conviction for a period of ten years:

Provided that any examinee who is prosecuted for any offence under the provisions of this Act in repeated manner, such prosecuted examinee shall be debarred, from appearing in all the competitive examinations and interviews held by the examination authority or the board, from the date of charge- sheet filed for a period of five to ten years and on conviction for a life time period.

- (2) Examination Authority as specified in Schedule-I are authorized for Disbarment.

14. Search and Seizure

- (1) Where the District Magistrate, on the basis of information in his possession, has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing) that any person-
- (a) has committed any act which constitutes unfair means, or
 - (b) is in possession of any proceeds of crime involved in unfair means, or
 - (c) is in possession of any record relating to unfair means, or
 - (d) is in possession of any property related to crime, then, subject to the rules made in this behalf, he may authorize any officer to-
 - (i) enter and search any building, place, vessel, vehicle, or aircraft where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept or concealed;
 - (ii) break open the lock of any door, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by clause (i) where the keys thereof are not available;

- (iii) seize any record or property found as a result of such search;
 - (iv) place marks of identification on such record or property, if required or make or cause to be made extracts or copies there from;
 - (v) make a note or an inventory of such record or property;
 - (vi) examine on oath any person, who is found to be in possession or control of any record or property, in respect of all matters relevant for the purposes of any investigation under this Act:
- (2) The authority, who has been authorized under sub-section (1) shall, immediately after search and seizure, forward a copy of the reasons so recorded along with material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court in a sealed envelope, in the manner, as may be prescribed and such Special Court shall keep such reasons and material for such period, as may be prescribed.
 - (3) Where an authority, upon information obtained is satisfied that any evidence shall be or is likely to be concealed or tampered with, he may, for reasons to be recorded in writing, enter and search the building or place where such evidence is located and seize that evidence:

Provided that no authority referred to in sub-section (1) shall be required for search under this sub-section.

15. Power to Arrest

- (1) If the Police Officer authorized under this Act, has on the basis of material in his possession reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing) that any person has committed of an offence punishable under this Act, he may arrest such person and shall, as soon as may be, inform him of the grounds for such arrest.
- (2) The Police Officer authorized under this Act, immediately after arrest of such person under sub-section (1), forward a copy of the order along with the material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court in a sealed envelope, in the manner, as may be prescribed and such Special Court shall keep such order and material for such period, as may be prescribed.

16. Attachment and confiscation of property

- (1) No person shall hold or be in possession of any proceeds of an offence under this Act.
- (2) If the District Magistrate has reason to believe that the property, whether moveable or immovable, in possession of any person has been acquired by the person as a result of the commission of an offence triable under this Act, he may order attachment of such property whether or not cognizance of such offence has been taken by Special Court.
- (3) The provisions of the Code shall, *mutatis mutandis* apply to every such attachment.
- (4) Notwithstanding the provisions of the Code the District Magistrate may appoint an Administrator of any property attached under sub-section (2) and the Administrator shall have all the powers to administer such property in the best interest thereof.

- (5) The District Magistrate may provide police help to the Administrator for proper and effective administration of such property.

Explanation- For the purposes of this section, "proceeds of an offence under this Act" means all property derived or obtained from the commission of an offence under this Act or has been acquired by means of funds relating to crime and shall also include cash, irrespective of the person in whose name such proceeds stand or in whose possession they are found.

17. Release of property

- (1) Where any property is attached under Section 16, the claimant thereof may within three months from the date of knowledge of such attachment make a representation to the District Magistrate showing the circumstances in and the sources by which such property was acquired by him.
- (2) If the District Magistrate is satisfied about the genuineness of the claim made under sub-section (1) he shall forthwith release the property so attached and thereupon such property shall be made over to the claimant on executing personal bond by him.

18. Inquiry into the character of acquisition of property by the Court

- (1) Where no representation is made within the period specified in sub-section (1) of Section 17 or the District Magistrate does not release the property under sub-section(2) of Section 17 he shall refer the matter with his report to the Special Court to try an offence under this Act.
- (2) Where the District Magistrate has refused to attach any property under sub-section (2) of Section 16 or has ordered for release of any property under sub-section (2) of Section 17, the State Government or any person aggrieved by such refusal or release may make an application to the Special Court referred to in sub-section (1) for inquiry as to whether the property was acquired by or as a result of the commission of an offence considerable under this Act. Special Court may, if it considers necessary or expedient in the interest of justice to do so, order for attachment of such property.
- (3) On receipt of the reference under sub-section (1) or an application under sub-section (2), the Special Court shall fix a date for inquiry and give notice thereof to the person making the application under sub-section (2) or, as the case may be, to the person making the representation under Section 17 and to the State Government, and also to any other person whose interest appears to be involved in the case.
- (4) On the date so fixed or any subsequent date to which the inquiry may be adjourned, the Special Court shall hear the parties, receive evidence produced by them, take such further evidence as it considers necessary, decide whether the property was acquired by the person as a result of the commission of an offence triable under this Act and shall pass such order under Section 19 as may be just and necessary in the circumstances of the case.
- (5) Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872, to the contrary, in any proceedings under this Section, the burden of proving that the property in question or any part thereof was not acquired by a person as the result of the commission of any offence triable under this Act, shall be on the person claiming the property.

19. Order after inquiry

- (1) If upon such inquiry the Special Court finds that the property was not acquired by a person as a result of the commission of any offence triable under this Act it shall order for release of the property of the person from whose possession it was attached.
- (2) Where the accused is convicted of any offence punishable under this Act, the Special Court may, in addition to awarding any sentence, by order in writing, declare that any movable or immovable or both properties free from encumbrances belonging to the accused shall be deemed to vest in the State Government.

20. Appeal

The provisions of Chapter XXIX of the Code shall, apply as *mutatis mutandis*, to an appeal against any judgment or order of a designated Court passed under the provisions of this Act.

21. Liability of management etc. to pay all costs and expenses

If any person, printing press, service provider contracted or ordered for examination, management for conducting examination, any person or organization authorized to keep or transport the examination material, any employee of the examination authority, limited liability partnership, coaching centre or any other institution is found guilty of an offence under sub-section (2), (3) and (4) of section 12 of this Act, as determined by the Special Court of this Act, shall be liable to pay costs and expenses and shall be barred by this forever.

22. Offence to be cognizable, non-bailable and non-compoundable

Special Court may upon perusal of police reports of the facts which constitute an offence under this Act or upon any complaint made by a party authorized in this behalf under this Act take cognizance of the offence for which the accused has been committed or trial.

- (a) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) for an offence punishable under this Act shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.
- (b) No person accused of an offence punishable for terms of imprisonment of more than seven years shall be released on bail under this Act unless:-
 - (i) The Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application for such release, and
 - (ii) Where the Public Prosecutor opposes the application, the Special Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail:

Provided that a person who is an examiner, or woman, sick or infirm may be released on bail if the Special Court shall direct.

23. No enquiry or approval required

- (1) For the purposes of this Act-
 - (a) preliminary enquiry shall not be required for registration of a First Information Report against any person; or

(b) the investigating officer shall not require approval for the arrest, if necessary, of any person, against whom an accusation of having committed an offence under this Act has been made and no procedure other than that provided under this Act or the Code shall apply.

(2) The provisions of section 438 of the Code shall not apply to a case under this Act, notwithstanding any judgment or order or direction of any Court.

24. Investigation of crimes

No police officer below the rank of Deputy Superintendent of Police (in districts where Deputy Superintendent of Police is not posted, Superintendent of Police) shall investigate any offence committed under this Act.

25. Case considered by Special Courts

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force, the offences specified under this Act shall be tried only by the Special Court under this Act.

26. Power to appoint Special Courts

The State Government, in consultation with the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Jharkhand, shall, for trial of offences punishable under this Act, by notification, designate such numbers of Session Courts as Special Court or special courts for such area or areas as may be specified in the notification.

27. Public Servant

"Public Servant" for the purpose of this Act means and includes any person (i) whether Government Employee or (ii) any other person, who is engaged, directly and indirectly, for the purpose of conducting examination by the examination authority, specified in Schedule-I.

Explanation:-The term any person shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).

28. Act not to be in derogation of any other law

The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

29. Power to remove difficulties

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear necessary for the removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made on the table of the State Legislative Assembly.

30. Power to make rules

(1) The State Government may make Rules for carrying out the purposes of the Act.

(2) Every Rules made under this section shall, as soon as may be after they are so made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session.

31. Power to issue directions or orders

The State Government may from time-to-time issue directions or order in writing for giving effect to the provisions of this Act.

32. Power to amend Schedule

The State Government may by notification include or exclude in the Schedule- I and II such authority and examination in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act and after the publication of such notification in the Gazette the Schedule- I and II shall be deemed to be amended accordingly.

33. Protection of action taken in good faith

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made there under.

Schedule - I**[See section 2 (1) (b)]**

- (1) Jharkhand Public Service Commission
- (2) Jharkhand Staff Selection Commission
- (3) Any other authority or agency or recruitment committee engaged or constituted by the State Government
- (4) State Funded Universities
- (5) Jharkhand Academic Council
- (6) Public Sector Undertaking owned by the State Government
- (7) Any Societies, Corporations, Local Bodies and all PSU's owned by the State Government substantially or partially
- (8) Any other authority notified by the State Government

Schedule -II

[See section 2 (1) (d)]

- (1) Any examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission.
- (2) Any examinations conducted by the Jharkhand Staff Selection Commission.
- (3) Any examination conducted by any other authority or agency or recruitment committee engaged or constituted by the State Government.
- (4) Any recruitment examination conducted by the State Funded Universities.
- (5) Any recruitment examination conducted by the Jharkhand Academic Council.
- (6) Any recruitment examination conducted by the Public Sector Undertaking owned by the State Government.
- (7) Any other recruitment examination conducted by any Societies, Corporations, Local Bodies and all PSU's owned by the State Government substantially or partially.
- (8) Any other recruitment examination conducted by any authority notified by the State Government or by any agency appointed by the State Government.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
